संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
02 FEB 2018
आवक क्र. 3407

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल, दिनांक /01/2018

क्रमांक एफ/19-2/2018/17/मेडि-1 :: डॉ0 संध्या नेमा, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, बैतूल को 14-15 जून, 2017 को श्रीमती नाजिया शेख की डिलीवरी में तत्परता से कार्यवाही न करने के कारण मृत शिशु को जन्म दिये जाने की घटना की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बैतूल द्वारा उन्हें जांच में दोषी पाया गया था । डॉ0 संध्या नेमा को इस आरोप में आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं के आदेश क्रमांक/4/शिका./सेल-5/एफ.78/बैतूल/2017/1019-1020 दिनांक 29.06.2017 द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय, स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल निर्धारित किया गया है । डॉ0 संध्या नेमा ने इस निलंबन आदेश के विरुद्ध अपीलीय अभ्यावेदन राज्य शासन को दिनांक 17.08.2017 को प्रस्तुत किया गया ।

2/- डॉ0 संध्या नेमा के उपर्युक्त अपीलीय अभ्यावेदन के निराकरण हेतु विभाग द्वारा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं से संगत मूल अभिलेख प्राप्त किये गये । जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बैतूल ने प्रारंभिक जांच में डॉ0 संध्या नेमा को दोषी पाया है और इस संबंध में संचालनालय द्वारा दिनांक 29.07.2017 को डॉ0 संध्या नेमा को आरोप-पत्र भी जारी कर दिये गये है, जो उन्हें प्राप्त भी हो गये है । डॉ0 संध्या नेमा ने आरोप-पत्र के संबंध में अपना प्रतिवाद उत्तर भी प्रस्तुत कर दिया है । अब इस स्थिति में डॉ0 संध्या नेमा को निलंबित रखा जाना प्रशासकीय दृष्टि से उचित नहीं होगा ।

5/- अतः राज्य शासन एतद्द्वारा उपरोक्त अपीलीय अभ्यावेदन पर पूर्ण विचारोपरान्त डॉ0 संध्या नेमा, निलंबित स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, बैतूल को विभागीय जांच पूर्ण होने तक निलंबन से बहाल करते हुए इन्हें आगामी आदेश तक स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पर जिला चिकित्सालय, होशंगाबाद में पदस्थ करता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक/एफ/19-2/2018/सत्रह/मेडि-1 **भोपाल, दिनांक 30/01/2018**

प्रतिलिपि :-

1- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म0प्र0 भोपाल ।
2- क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल ।
3- कलेक्टर, जिला बैतूल ।
4- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बैतूल/होशंगाबाद ।
5- सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बैतूल/होशंगाबाद ।
6- उप संचालक, (विज्ञप्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल की ओर आदेश बेबसाइड पर प्रदर्शित हेतु।
7- डॉ0 संध्या नेमा, निलंबित स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, बैतूल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

02 FEB 2018